

- (3)- शासनादेश संख्या-107/अइतीस-9-21 -09 मार्च, 2015 द्वारा वांछित प्रदेश के अन्य जनपदों से रिक्तियों/अप्रयुक्त अवशेष धनराशि की सूचना पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाने के उपरान्त ही दूसरी किश्त निर्गत की जा सकेंगी।
- (4)- यदि किसी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का स्थान रिक्त है, तो उस क्षेत्र की धनराशि कोषागार से आहरित नहीं की जायेगी और इसकी सूचना शासन को तत्काल दी जायेगी।
- (5)- इस सम्बन्ध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक-30-03-2015 में किये गये प्राविधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।
- 2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्षक- "4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-03-विधायक निधि-42-अन्य व्यय" के नामें डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक-30-03-2015 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(ओम प्रकाश तिवारी)

अनु सचिव ।

संख्या- 28/2015/585 (1) /अइतीस-9-2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, 30प्र0 इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार, (लेखा एवं परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, 30प्र0 इलाहाबाद।
- 3- मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा मुख्य विकास अधिकारी।
- 4- प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य विभाग, 30प्र0 शासन।
- 5- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
- 6- निजी सचिव, मा0 अध्यक्ष, विधान सभा, 30प्र0।
- 7- निजी सचिव, मा0 सभापित, विधान परिषद, 30प्र0।
- 8- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), ग्राम्य विकास विभाग, 30प्र0 शासन।
- 9- आयुक्त, ग्राम्य विकास, 30प्र0 लखनऊ।
- 10- अपर आयुक्त (लेखा) ग्राम्य विकास, 30प्र0 लखनऊ।
- 11- जिलाधिकारी, महोबा व महाराजगंज, 30प्र0।
- 12- कोषाधिकारी, महोबा व महाराजगंज, 30प्र0।
- 13- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
- 14- नियोजन अनुभाग-3/ग्राम्य विकास अनुभाग-3/ गार्डबुक।

आज्ञा से,

(ओम प्रकाश तिवारी)

अनु सचिव ।